मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 02.04.2016

क्र. एफ 16-34/2015/बी-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप द्वारा रूपये 2320.02 करोड़ के पूंजी निवेश से बुदनी, जिला सीहोर में मेगा इण्डस्ट्रीयल टेक्सटाईल हब की स्थापना सम्बंधी परियोजना में बड़ी संख्या में स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार के अवसर एवं वृहद निवेश के दृष्टिगत विचारोपरांत परियोजना को निम्नानुसार सुविधाएं दी जावे-

(1) **टैक्सटाईल एवं पेपर प्रोडक्ट परियोनाओं हेतु-**

(i) **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क से मुक्ति** - परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु बुदनी जिला सीहोर में ट्राईडेन्ट लि. अथवा/ और समूह के आधिपत्य की 767.66 एकड़ भूमि प्रवर्तित कंपनियों/ अनुषांगिक कम्पनी/ सहयोगी कम्पनी/ एस.पी.व्ही/ नवीन कम्पनी के बीच अमलगेशन/ मर्जर/ एक्वीजेशन/ हस्तांतरण के फलस्वरूप भूमि के अंतरण/क्रय के लिखत एवं उक्त भूमि के अतिरिक्त क्रय की गयी अथवा क्रय की जाने वाली नवीन भूमि पर देय स्टांप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क एवं अन्य प्रभारित की प्रतिपूर्ति वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा की जावेगी।

(ii) **विद्युत शुल्क पर छूट-** नवीन कनेक्शन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अन्तर्गत विद्युत भार में वृद्धि होने पर 10 वर्षों के लिये विद्युत शुल्क से छूट होगी।

(iii) **विद्युत दर में रियायत-** नवीन कनेक्शन एवं विद्यमान विद्युत कनेक्शन अन्तर्गत विद्युत भार में वृद्धि होने पर विद्युत टेरिफ में रूपये 1.00 (रूपये एक मात्र) प्रति यूनिट की दर से परियोजनाओं में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्ष तक छूट दी जावेगी।

(iv) **वेट एवं सीएसटी पर सहायता-** टैक्सटाईल परियोजनाओं में टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी की निवेश की सीमा तक 15 वर्षों हेतु एवं पेपर प्रोडक्ट परियोजनाओं को प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा तक वेट एवं सीएसटी की प्रतिपूर्ति शर्तों के अध्याधीन होगी। कुल सहायता इकाई द्वारा जमा किये गये कर से अधिक नहीं होगी।

(v) **प्रवेश कर से छूट** -विनिर्माण परियोजनाओं अन्तर्गत प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक से 15 वर्षों हेतु प्रवेश कर से मुक्ति की पात्रता होगी।

(vi) **हरित औद्योगिकीकरण हेतु सहायता-** उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के अध्याधीन 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम रूपये 25 लाख होगी।

(vii) **अधोसंरचना विकास अनुदान** - उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानों के तहत शर्तों के अध्याधीन देय होगी।

(viii) **प्रशिक्षण हेतु व्यय की प्रतिपूर्ति**- कम्पनी की परियोजनाओं में कार्यरत मध्यप्रदेश के मूल निवासियों (नियमित एवं कान्ट्रेक्ट कर्मचारियों सहित) को 4 माह तक 50 प्रतिशत वेतन की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 1 लाख तक की जावेगी। यह स्वीकृति प्रतिवर्ष अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा में होगी तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए देय होगी। इस प्रकार इस मद में रूपये 25 करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

(ix) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

(2) **को-जनरेशन केप्टिव पावर प्लांट हेतु-**

(i) को-जनरेशन केप्टिव पॉवर प्लांट से उत्पादित विद्युत पर पूर्व में मंत्रि-परिषद समिति की बैठक दिनांक 22/9/2014 स्वीकृति अनुसार स्वयं के उपयोग पर उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 10 वर्ष हेतु विद्युत शुल्क से छूट होगी।

(ii) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

(3) **फूड प्रोसेसिंग परियोजनाओं हेतु -**

(i) फूड एण्ड एग्री प्रोसेसिंग पार्क के विकास तथा पार्क अन्तर्गत स्थापित होने वाली इकाइयों को कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति, 2012 तथा भविष्य में प्रचलित खाद्य प्रसंस्करण नीति में जो श्रेयस्कर हो उस अनुसार सुविधाओं की पात्रता होगी।

(ii) ग्रुप द्वारा प्रस्तावित पार्क में आने वाली इकाइयों को भूमि हस्तांतरण अथवा पट्टा पर देने की दशा में प्रभार्य स्टाम्प ड्यूटी से वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 अन्तर्गत दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क में छूट/कमी हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-29-2014-2-पांच(01) दिनांक 2/1/2015 में निहित प्रावधान अनुसार लाभ की पात्रता होगी।

(iii) कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

4/4/16

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

क्रमांक एफ 16-34/2015/बी-ग्यारह भोपाल, दिनांक 02.04.2016

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग/ऊर्जा विभाग/ राजस्व विभाग/किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग/नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स ट्राईडेन्ट ग्रुप, होशंगाबाद रोड, बुदनी, जिला सीहोर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग